ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 160-164**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एवं महिला स्वास्थ्यः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (गोरखपुर जिले में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से आच्छादित पाँच गैर–सरकारी अस्पतालों के विशेष सन्दर्भ में)

1. निधि सिंह
2. डॉ0 संगीता पाण्डे

1. शोध अध्येत्री, 2. प्रोफेसर, समाजशात्र विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, (उ0प्र0) भारत

Received-31.01.2023, Revised-05.02.2023, Accepted-10.02.2023 E-mail: nidhi12neha@gmail.com

सारांशः ***प्रस्तुत शोध–पत्र 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना एवं महिला स्वास्थ्यः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन" पर आधारित है, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से आच्छादित पाँच गैर–सरकारी अस्पतालों का अध्ययन किया जा रहा है। अप्रैल, 2022 की सूची के अनुसार, गोरखपुर जनपद में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से आच्छादित 210 गैर–सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें से दैव निदर्शन पद्धति द्वारा पाँच गैर–सरकारी अस्पतालों को चयनित किया गया है। चयनित अस्पताल वार्ड संख्या 53, 60 एवं 65 का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्रामीण भारत में भारत की कुल आबादी का 68% शामिल है और ग्रामीण क्षेत्रों के आधें निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जो स्वास्थ्य–देखभाल और सेवाओं तक बेहतर और आसान पहुँच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 'संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं ऑक्सफोर्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा तैयार वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 37 करोड़ लोग आज भी गरीब हैं। गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली महिलाएँ अपनी खराब आर्थिक स्थिति एवं सदियों से चली आ रही, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में अब तक की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' को लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 1350 बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें से 31 बीमारियाँ ऐसी हैं, जो केवल महिलाओं से सम्बंधित है। यह योजना गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य–सुविधाएँ एवं देखभाल हेतु प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये प्रति परिवार प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत को रोगमुक्त करके विकास के पथ पर ले जाना है। इसके अतिरिक्त महिला–स्वास्थ्य से सम्बंधित अन्य योजनाएँ (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री वंदना योजना आदि) चलायी गयीं, जो मुख्यतः गर्भावस्था के दौरान प्राप्त करायी जाने वाली स्वास्थ्य–सुविधाओं से सम्बंधित हैं, किन्तु 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' के अन्तर्गत महिला–स्वास्थ्य से सम्बंधित सभी प्रकार की बीमारियों को जोड़ा गया है।***

कुंजीभूत शब्द– आयुष्मान भारत, महिला स्वास्थ्य, जन आरोग्य योजना, सरकारी अस्पताल, बहुआयामी गरीबी सूचकांक।

महिला समाज की जननी एवं परिवार का मूल होती हैं और परिवार का आधा दायित्व महिलाओं पर निर्भर करता है। परिवार में यदि महिला का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वर्तमान में महिलाएँ केवल घर की रसोई तक ही सीमित नहीं रह गयी हैं, बल्कि वो घर के बाहर निकल कर भी काम कर रही हैं और समाज के विकास में अपना सहयोग दे रही हैं, जिससे उनके कन्धों पर दोहरा भार आ गया है। ऐसे में महिलाओं का स्वस्थ होना न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए भी आवश्यक है।

विकाशील देशों में भारत में कुपोषित महिलाओं की दर उच्चतम है और यह समस्या और भी अधिक गंभीर तब हो जाती है, जब सामाजिक–संरचना में आर्थिक असमानताएँ हों। भारत की खराब सामाजिक–आर्थिक स्थिति के कारण महिलाओं की पर्याप्त स्वास्थ्य–देखभाल तक पहुँच सीमित हो जाती है। एन० एफ० एच० एस०–5 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 66. 4% महिलाएँ एनीमिया का शिकार हैं।

वर्तमान में ऐसे कई महत्वपूर्ण कारक हैं, जो महिलाओं के निम्न स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी हैं। सदियों से चली आ रही पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना के कारण पुरुषों के ही स्वास्थ्य की प्राथमिकता रही है एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को नजरन्दाज किया जाता रहा है। महिलाओं की अशिक्षा एवं अज्ञानता ने भी उनके स्वास्थ्य को काफी हद तक प्रभावित किया है। शिक्षा के अभाव, अज्ञानता एवं जागरूकता की कमी आदि के कारण महिलाएँ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। एन० एफ० एच० एस०–5 की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्वांचल में हर चौथी महिला का वजन निर्धारित मानकों से ज्यादा है, मोटापें के कारण कार्डियावस्कुलर, डायबिटीज टाइप–2, पित्त की थैली में पथरी, दिल की बीमारी, हड्डियों का कमजोर होना, कैल्शियम की कमी, रक्तचाप आदि बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की खराब आर्थिक स्थिति ने महिलाओं के स्वास्थ्य को और भी अधिक प्रभावित किया है। एन० एफ० एच० एस०–5 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में केवल 23.3% माताओं ने अपनी गर्भावस्था के दौरान 100 दिनों तक आयरन एवं फोलिक की खुराक ली थी। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए दो वक्त की रोटी जुटा पाना ही एक बड़ी चुनौती होती है, ऐसी स्थिति में उनका स्वास्थ्य की ओर ध्यान जाना ना के बराबर होता है और महिला–स्वास्थ्य के प्रति यह चुनौती और भी बड़ी तब हो

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

जाती है, जब स्वास्थ्य–सुविधाएँ या तो मिल ही नहीं पाती हैं, या फिर मिलती भी हैं तो बहुत ही महँगी और यदि वो महिलाएँ ग्रामीण गरीब परिवार की होने के साथ–साथ पिछड़ें वर्ग की होती हैं, तो ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर और भी अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2014 में प्रकाशित डब्ल्यू०एच०ओ० की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 से 2013 तक में मातृ–मृत्यु संख्या में 55.25% की महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद भी यह गिरावट सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य–5 (मातृत्व–स्वास्थ्य को बढ़ावा देना) को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गिरावट की दर से आधे से भी कम है।

ऐसे में 'भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय' द्वारा अप्रैल, 2018 में शुरू की गयी 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान से कम नहीं है। यह योजना अब तक की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को केवल स्वास्थ्य–सुविधाएँ उपलब्ध करवाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें रोगमुक्त करके सम्पूर्ण भारत को विकास के पथ पर ले जाना है। इस योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में गरीबी रेखा के नीचे निवासरत जनसंख्या को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य–सुविधाएँ एवं स्वास्थ्य–देखभाल प्राप्त कराने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत न केवल सरकारी अस्पतालों, बल्कि बड़ें–से–बड़ें गैर–सरकारी अस्पतालों को भी जोड़ा गया है, जिससे गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार शहरों में जाकर अच्छें–से–अच्छें अस्पतालों में अपना इलाज करवा सकें। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों (जिनका आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बना है) को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ एवं उपचार के लिए पाँच लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार देने का प्रावधान है।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत शोध–पत्र में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से आच्छादित 210 गैर–सरकारी अस्पतालों में से दैव निदर्शन पद्धति द्वारा चयनित पाँच गैर–सरकारी अस्पतालों का अध्ययन किया गया है। ये अस्पताल गोरखपुर जनपद के दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र के वार्ड संख्या 53, 60 एवं 65 का प्रतिनिधित्व करते हैं।

गोरखपुर जनपद का मानचित्र

वार्ड संख्या 53 60 एवं 65

उद्देश्य–

1. गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।
2. लाभार्थी महिलाओं की नौकरी/पेशा की जानकारी ज्ञात करना।
3. लाभार्थी महिलाओं की जाति की जानकारी प्राप्त करना।
4. महिलाओं की पारिवारिक संरचना को ज्ञात करना।
5. लाभार्थी महिलाओं में महिला–स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन।

शोध–प्रविधि–

प्रस्तुत शोध–पत्र से सम्बंधित तथ्यों/आंकड़ों को एकत्र करने हेतु शोधार्थी द्वारा गोरखपुर जनपद में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से आच्छादित 210 गैर–सरकारी अस्पतालों में से दैव निदर्शन पद्धति द्वारा चयनित पाँच गैर–सरकारी अस्पतालों का चयन किया गया। प्रस्तुत शोध–पत्र में तथ्यों के प्रस्तुतीकरण हेतु प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित किया गया। चूँकि अध्ययन से सम्बंधित उत्तरदाता गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले हैं, जिससे वो कम पढ़ें–लिखें एवं निरक्षर भी हैं। अतः शोधार्थी द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार–अनुसूची का प्रयोग किया गया है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकलने

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

का प्रयास किया गया।

तथ्यों का प्रस्तुतीकरण–

1. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से लाभान्वित महिलाओं की पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विवरण निम्न है: शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से उत्तरदाताओं से उनकी पारिवारिक आर्थिक पृष्ठभूमि को ज्ञात किया गया, जिसे निम्नवत सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है–

सारणी संख्या – 1

क्र०	मासिक आय	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	5000	14	35%
2.	5000 – 10000	14	35%
3.	10000 – 15000	12	30%
	कुल योग	**40**	**100%**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से लाभान्वित महिलाओं में 35% महिलाओं के परिवार की मासिक आय 5000 रूपये से कम, 35% महिलाओं के परिवार की मासिक आय 5000–10000 तक एवं केवल 30% महिलाओं के परिवार की मासिक आय 10000–15000 तक है।

2. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से लाभान्वित महिलाओं की नौकरी/पेशा का विवरण– शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं की नौकरी/पेशा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसका विवरण निम्नलिखित है –

सारणी संख्या – 2

क्रम	नौकरी/पेशा का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	मजदूरी	20	50%
2.	कृषि	12	30%
3.	साधारण गृहिणी	08	20%
4.	गैर–सरकारी नौकरी	00	0.00%
5.	सरकारी नौकरी	00	0.00%
	कुल योग	**40**	**100%**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं में 50% महिलाएँ मजदूर हैं, 30% महिलाएँ कृषि कार्य में लिप्त हैं एवं 20% साधारण गृहिणी हैं (कोई भी बाहरी कार्य नहीं करती हैं)। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि कोई भी महिला किसी भी प्रकार की गैर–सरकारी या सरकारी नौकरी नहीं करती है।

3. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से लाभान्वित महिलाओं की जाति का विवरण– शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं से उनकी जाति का विवरण प्राप्त किया गया, जो निम्नवत सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है–

सारणी संख्या – 3

क्रम	जाति का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	सामान्य जाति	02	05%
2.	अन्य पिछड़ी जाति	16	40%
3.	अनुसूचित जाति	22	55%
4.	अनुसूचित जनजाति	00	00%
	कुल योग	**40**	**100%**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं में सबसे अधिक संख्या अनुसूचित जाति (55%), इसके बाद 40% पिछड़ी जाति को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इस योजना से केवल अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ी जाति को ही लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सामान्य जाति (5%) को भी इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है तथा विश्लेषण से यह भी ज्ञात हुआ है कि अनुसूचित जनजाति को इस योजना का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।

4. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से लाभान्वित महिलाओं की पारिवारिक संरचना का विवरण– शोधार्थी द्वारा

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं से उनकी पारिवारिक संरचना के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त किये गये, जिनका विवरण निम्नलिखित है–

सारणी संख्या – 4

क्रम	पारिवारिक संरचना का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	संयुक्त परिवार	26	65%
2.	एकांकी परिवार	14	35%
	कुल योग	**40**	**100%**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की लाभार्थी महिलाओं में 65% महिलाएँ संयुक्त परिवार में रहती हैं एवं केवल 35% महिलाएँ एकांकी परिवार में रहती हैं।

5. आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से लाभान्वित महिलाओं में महिला–स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता का अध्ययन– शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार–अनुसूची के माध्यम से लाभान्वित महिलाओं से महिला–स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गयी, जिसे निम्नवत सारणी द्वारा प्रस्तुत किया गया है:–

सारणी संख्या – 5

क्रम	स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	जागरुक नहीं हैं	04	10%
2.	कम जागरूक हैं	22	55%
3.	सामान्य रूप से जागरूक हैं	14	35%
4.	पूर्ण रूप से जागरूक हैं	00	0.00%
	कुल योग	**40**	**100%**

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की लाभार्थी महिलाओं में 10% महिलाएँ ऐसी हैं, जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं, तथा 55% महिलाओं में थोड़ी जागरूकता पाई गयी एवं केवल 35% महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति सामान्य रूप से जागरूकता देखने को मिली तथा साथ–ही–साथ यह भी पता चलता है कि कोई भी महिला अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है।

निष्कर्ष– उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के द्वारा गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य–सम्बन्धी सुविधाओं एवं देखभाल के लिए अच्छे गैर–सरकारी अस्पतालों तक पहुँच है। लाभार्थी महिलाओं में कोई भी महिला अच्छी पृष्ठभूमि से सम्बन्ध नहीं रखती हैं, बल्कि सभी महिलाएँ मजदूर, कृषक एवं साधारण गृहिणी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को ही स्वास्थ्य–सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं। संयुक्त परिवार वाली लाभार्थी महिलाओं (65%) के परिवारों की मासिक आय अधिकतम 10,000 – 15,000 है, जबकि एकांकी परिवार वाली लाभार्थी महिलाओं (35%) के परिवारों की मासिक आय अधिकतम 5000 – 10,000 है। विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ एक तरफ इस योजना के तहत अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ी जातियों के अतिरिक्त गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली सामान्य जाति की महिलाओं को भी स्वास्थ्य–सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वही दूसरी तरफ यह भी ज्ञात होता है कि अभी तक इस योजना तक अनुसूचित जनजातियों की पहुँच नहीं बन पाई है। अध्ययन से पता चलता है, कि महिलाएँ स्वयं के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जागरूक नहीं हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में कोई जानकारी है। उन्हें आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बारे में इसलिए जानकारी है क्योंकि यह योजना खुद उनके पास तक चल कर आयी है।

अतः स्पष्ट होता है कि अभी भी ग्रामीण गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने की अत्यन्त आवश्यकता है। जागरूकता के अभाव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाएँ अपने स्वास्थ्य को नजरन्दाज कर देती हैं, इसके साथ–ही–साथ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को ठीक प्रकार से प्रसारित करने की अत्यन्त आवश्यकता है, जिससे अनुसूचित जनजातियों की इस योजना तक पहुँच बन सके एवं यह योजना अपने उद्देश्य (सम्पूर्ण भारत को रोगमुक्त करके विकास के पथ पर ले जाने) में सफल हो सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www.pmjay.gov.in

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

2. http://www.govtstaffportal.in/ayushman-bharat-hospital-list-in-gorakhpur
3. http://main.mohfw.gov.in
4. https://www.who.int/publications-detail-redirect
5. http://gorakhpur.nic.in
6. https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2019pdf.pdf
7. htpp://www.drishtiias.com/summary-of-important-reports/national-family-health-survey-5-2

*****